न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–330 / 2026

(खैरा थाना कांड संख्या 85 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

नितीश दास उर्फ नितीश कुमार बनाम राज्य सरकार

आदेश

15.04.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक **नितीश दास** उम्र लगभग 26 वर्ष, पिता नन्दू रविदास उर्फ नन्दू दास, साकिन हडियाडीह, थाना खैरा व जिला जमुई द्वारा खैरा थाना कांड संख्या 85 / 2026 में धारा–126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 303(2), 74, 351(2), 352, 3(5) बी0एन0एस0 के तहत गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री किशन दास तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 03.03.2026 को सूचक अपने ससुराल चौहानडीह से अपने घर बाधाखाँड जा रहा था। जाने के क्रम में करीब 3:30 बजे पर हड़ियाडीह गांव के समीप 8 से 10 की संख्या में शराब के नशे में धुत शरारती तत्व सूचक के गाड़ी को जबरन रोककर सूचक के साथ मारपीट करने लगे तथा सूचक की पत्नी मधु देवी का सोने का चैन तथा सूचक का पर्स छीन लिए। विरोध करने पर जान मारने की नीयत से पिस्टल के बट से सूचक का माथा फोड़ दिया। सहायता हेतु सूचक अपने घर फोन किया जब वो लोग लेट किए तो सूचक द्वारा 112 पे कॉल करके सूचना दिया गया जिसमें तत्परता दिखाते हुए डायल 112 की टीम के अनुसंधान के क्रम में जो नाम सामने आया वह निम्न है। नितीश दास पे0 नन्दू दास, मनीष दास पे0 राजो दास, लाल शर्मा पे0 सिकंदर शर्मा, सचिन दास पे0 शरीफ दास, शिवारेड्डी उर्फ शिवकुमार पिता सिताबी दास तथा 4–5 लोग अन्य सभी हड़ियाडीह गांव के हैं। जिसमें नितीश दास ने सिर पर मारा।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को परिचालित कर निवेदन करते हैं कि आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत न तो श्रीमान् के न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में कोई अन्य जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को लेकर वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया है। यह कि आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को 35(3) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। आवेदक अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों से इन्कार करता है और वह बिल्कुल निर्दोष है। यह कि आवेदक को इस झूठे वाद में गलत तरीके से फंसाया गया है। यह कि सूचक द्वारा आवेदक की पहचान नहीं की गई है बल्कि उसका नाम प्राथमिकी के अनुसार मामले की जांच के दौरान मामले के सत्यापन से पहले आया है जो बिल्कुल अवैध और हास्स्पद है। यह कि सूचक के सिर पर हमला करने का आवेदक के विरूद्ध आरोप बाद में जोड़ा गया है जो लिखित रिपोर्ट के अवलोकन से ही स्पष्ट है। यह कि आवेदक पर किसी विशेष हथियार से सूचक के सिर पर हमला करने और चोट पहुंचाने का आरोप नहीं है। यह कि आवेदक पर कोई चोरी का आरोप नहीं है इसलिए आवेदक के विरूद्ध धारा 303 नहीं बनता है। यह कि आवेदक धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है तथा न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। आवेदक अग्रिम जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी धारा 126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 303(2), 74, 351(2), 352, 3(5) बी0एन0एस0 के तहत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक अजय कुमार सिंह दिनांक 03.03.2016 को अपने ससुराल चौहानडीह से अपने घर

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–330 / 2026

(खैरा थाना कांड संख्या 85 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

नितीश दास उर्फ नितीश कुमार बनाम राज्य सरकार

15.04.2026
लगातार

बाधाखाँड जा रहा था। जाने के क्रम में करीब 3:30 बजे पर हड़ियाडीह गांव के समीप 8 से 10 की संख्या में शराब के नशे में धुत शरारती तत्व सूचक के गाड़ी को जबरन रोककर सूचक के साथ मारपीट करने लगे तथा सूचक की पत्नी मधु देवी का सोने का चैन तथा सूचक का पर्स छीन लिए। विरोध करने पर जान मारने की नीयत से पिस्टल के बट से सूचक का माथा फोड़ दिया। अनुसंधान के क्रम में जो नाम सामने आया वह निम्न है। नितीश दास पे0 नन्दू दास, मनीष दास पे0 राजो दास, लाल शर्मा पे0 सिकंदर शर्मा, सचिन दास पे0 शरीफ दास, शिवारेड्डी उर्फ शिवकुमार पिता सिताबी दास तथा 4–5 लोग अन्य सभी हड़ियाडीह गांव के हैं। जिसमें नितीश दास ने सिर पर मारा। अभी तक वाद अनुसंधान के वाद दैनिकी की छायाप्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। वाद दैनिकी की कंडिका 02 में सूचक ने प्राथमिकी का पूर्णतः समर्थन किया है। वाद दैनिकी की कंडिका 03 में सूचक एवं जख्मी अजय सिंह की पत्नी मधु देवी का ब्यान है। इन्होंने ने अपने ब्यान में प्राथमिकी का समर्थन करते हुऐ आगे कथन किया है कि मैं अपने मायका चौहानडीह से अपने ससुराल बघाखांड़ अपने पति अजय कुमार सिंह एवं पुत्र मयंक कुमार के साथ वापस जा रही थी उसी क्रम में हडियाडीह गांव में 8–10 की संख्या में नशे में धुत लोगों ने मेरे पति का मोटरसाईकिल लूटकर मारपीट करने लगे एवं हमलोगों के विरोध करने पर मेरे गले से सोने का चैन एवं मेरा पर्स छीन लिया और मेरे पति के साथ मारपीट करने लगे। उसमें से एक आदमी मेरे पति के सिर पर मार दिया जिससे उनका सिर फट गया। वाद दैनिकी की कंडिका 04 में साक्षी मयंक कुमार जो कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं इन्होंने ने भी अभियोजन के केस का पूर्णतः समर्थन किया है। वाद दैनिकी की कंडिका 28 में जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिसमें सूचक अजय कुमार के सिर पर Lacerated wound on forehead Right side size **1.1/2''-1/6''-1/8''**, Whole body pain अंकित है। दोनो जख्मों को साधारण प्रकृति का बताया गया है आवेदक द्वारा सूचक के मर्मस्थल सिर पर जान मारने के नियत से पिस्टल के बट से प्रहार कर माथा फाड़ देने का सीधा आरोप है प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने भी घटना का समर्थन किया है। वाद का अनुसंधान अभी जारी है। अतः वाद के इस प्रक्रम पर आवेदक को उपरोक्त विवेचन के आलोक में अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई

मेमो सं0..... दिनांक–.....
प्रति अग्रसारित–न्यायालय, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।